न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 13/2024(जी.सी.एम.एस.2024/208)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. सीता देवी उर्फ सुमित्रा देवी पत्नी सुखदेव चन्द जाति कम्बोज निवासी 13 एफ एफ मानकसर हाल चक 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. ओमप्रकाश पुत्र किशनचन्द जाति कम्बोज निवासी 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2.जयप्रकाश पुत्र किशनचन्द जाति कम्बोज निवासी 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 2/1. कैलाश देवी पत्नी जयप्रकाश जाति कम्बोज निवासी 53 जीजी हाल निवासी बाबा भूमणशाह स्कूल श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर । 2/2. अभिषेक पुत्र जयप्रकाश जाति कम्बोज निवासी 53 जीजी हाल निवासी बाबा भूमणशाह स्कूल श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर । 2/3. प्रियंका रानी पुत्री जयप्रकाश जाति कम्बोज निवासी 53 जीजी हाल निवासी बाबा भूमणशाह स्कूल श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर । 3.निर्मला पुत्री किशनचन्द जाति कम्बोज निवासी 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 4.पारबती पुत्री किशनचन्द जाति कम्बोज निवासी 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 5.रामप्रकाश पुत्र किशनचन्द जाति कम्बोज निवासी 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 6.सुरज प्रकाश पुत्र किशनचन्द जाति कम्बोज निवासी 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 7.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू:–01.07.2024

उपस्थितः1.श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2

––निर्णय–– दिनांक : 06.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 43/43 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 व मुरब्बा नम्बर 48/12 की कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/11 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/2, 6, 11 ता 25, मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 9, 10 व मुरब्बा नम्बर 48/22 की कुल 4.555 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थिया को अपने रकबा में आने-जाने एंव काश्त करने हेतु कृषि भूमि उपकरण ले जाने हेतु कोई मार्ग विद्यमान नहीं है। प्रार्थिया अपने रकबा में आने-जाने हेतु अन्य काश्तकारो की भूमि में से होकर आवागमन करती है। रास्ता विद्यमान नहीं होने के कारण, प्रार्थिया व उसके परिवार को कई असुविधाओं का सामना करना पडता है। इस कारण प्रार्थिया माननीय न्यायालय में हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत कर रही है। प्रार्थिया अपनी भूमि में आने-जाने हेतु निकटतम मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 6 में 2-2 बिस्वा भूमि में नवीनतम मार्ग स्वीकृत करवाना चाहती है। क्योंकि मुरब्बा नम्बर 42 के साथ चिपता हुआ, मुरब्बा नम्बर 43 है, जिसके किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत सरकारी मार्ग है, का उपयोग करके, मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 6 में से होकर प्रार्थिया अपने रकबाजात में पंहुच सकती है। प्रार्थी को उक्त मार्ग की आत्यतिंक आवश्कता है और यह केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण को कई बार आग्रह किया गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आज से 10 रोज पूर्व भी पुनः आग्रह किया तो पूर्व की भांति अप्रार्थीगण साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 6 की उतरी बट के साथ-साथ 2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व किए गए एकपक्षीय कार्यवाही आदेश दिनांक 27.08.2024 को निरस्त किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान को बतौर अप्रार्थी संख्या 2/1 ता 2/3 के रूप में संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थिया द्वारा हम अप्रार्थीगण की भूमि मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 6 की उतरी बट के साथ-साथ रास्ता की मांग की जा रही है। जो रास्ता स्वीकृत किया जाना कतई न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि इससे हम अप्रार्थीगण की भूमि के दो टूकडे हो जावेंगे। हम अप्रार्थीगण के नाम मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/2 में 7 बिस्वा नहरी भूमि व 0.013 हैक्टेयर भूमि गै.मु.खा. है। ऐसे में यदि प्रार्थिया की मांग अनुसार अप्रार्थीगण के किला नम्बर 6 में उतरी मेड के साथ-साथ पूर्व से पश्चिम में रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो यह भूमि अलग हो जावेगी तथा अप्रार्थीगण को काश्त सम्बन्धी अत्यधिक परेशानियां आऐगी। इसके अलावा इसी मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 4 की 14 बिस्वा नहरी भूमि, एंव 0.013 हैक्टेयर गै.मु.खा भूमि रामनारायण काश्तकार के नाम दर्ज है। उसे भी कोई रास्ता प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से खातेदार समावन्ति उर्फ सोभाबन्ती के नाम भी इसी मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 5/1 की 9 बिस्वा नहरी भूमि एंव इसी किला में स्थित 0.012 हैक्टेयर गै.मु.खा. की भूमि तथा किला नम्बर 4/1 की 4 बिस्वा नहरी तथा 0.012 हैक्टेयर गै.मु.खा. की भूमि प्राप्त है, उसे भी अपनी भूमि में आने-जाने को रास्ता प्राप्त नहीं होगा। यदि इसके स्थान पर प्रार्थिया को मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 4, 5 के उतरी बट के साथ चालू खाला के साथ-साथ 1-1 बिस्वा भूमि रास्ता के रूप में स्वीकृत की जाती है, तो रास्ता ना केवल प्रार्थिया को उपलब्ध होगा, बल्कि इससे समावन्ती खातेदार तथा रामानारायण खातेदार को भी रास्ता उपलब्ध हो जावेगा। साथ ही हम अप्रार्थीगण की भूमि दो भागो में विभक्त नहीं होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2024/696 दिनांक 29.10.2024 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक मानकसर मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक मानकसर व पटवारी हल्का मानकसर द्वारा चक 53 जीजी के मुरब्बा नम्बर 42, 43 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 7 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 6 मे से रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को अपने कृषि जोत में पहुंचने बाबत कोई सरकारी रास्ता रिकॉर्ड अनुसार उपलब्ध नहीं है। वादी द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता है अन्य कोई रास्ता रिकॉर्ड अनुसार उपलब्ध नहीं है। वादी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य 1 विकल्प मौजूद है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी भूमि किला नम्बर 6 में रास्ता देने पर असहमति जताई और कहां कि अपनी भूमि दो हिस्सों मे विभाजित हो जाऐगी। इसी मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 4/2 की 0.050 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/1 की 0.114 हैक्टेयर भूमि खातेदारान की भूमि रास्ते पर ही है। इन्हें रास्ता की आवश्कता नहीं है। प्रार्थिया सीता देवी पत्नी सुखदेव चन्द को अपनी भूमि में आने-जाने के लिए सरकारी रास्ते से सबसे निकटतम रास्ता केवल किला नम्बर 6 की उतरी बट से पडता है। दुसरा रास्ता किला नम्बर 5/2 के कुत्तर के साथ चिपता हुआ बन सकता है। लेकिन रास्ता कुत्तर हो जाता है।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी
या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया राजस्व ग्राम 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 43/43 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 व मुरब्बा नम्बर 48/12 की कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि की अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 6 की उतरी बट के साथ-साथ 2 बिस्वा भूमि से मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 7 तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी भूमि किला नम्बर 6 में रास्ता देने पर असहमति जताई और कहां कि हमारी भूमि दो हिस्सों मे विभाजित हो जाऐगी और अप्रार्थीगण को काश्त सम्बन्धी अत्यधिक परेशानियां आऐगी। यदि विकल्प संख्या 2 किला नम्बर 5/2 में कुतरी खाला के साथ-साथ रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तो अप्रार्थीगण की भूमि दो भागों में विभक्त नहीं होगी। **यह** रास्ता व्यावहारिक है। प्रार्थिया को रास्ता की आत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थिया की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी आशिंक स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/2 में कुतरी खाल के साथ-साथ 12 फीट चौडाई में 0.025 हैक्टेयर भूमि व किला नम्बर 6 की उतरी-पश्चिमी कोने में 0.001 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा यदि भविष्य में उक्त कुतर खाला निरस्त किया जाकर खाला किसी भी दिशा में स्वीकृत किया जाता है, तो उक्त स्वीकृत रास्ता का अंकन व पत्थरगढी, उक्त स्वीकृत खाला के साथ-साथ ही किया जावेगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/2, 6 की कुल 0.026 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्योराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)